



EASTERN RAILWAY
PERSONNEL DEPARTMENT

Office of the
Principal Chief Personnel Officer
Eastern Railway,
Kolkata – 700001.

No. E/Rectt/DMS/Deptl. Selection/PQ/66 – 2/3 %/2025 Kolkata, dated 01.09.2025

Principal Chief Materials Manager,
Eastern Railway,
Kolkata.

Sub: General Selection for promotion to the post of Depot Material Superintendent (DMS) Level-6 (GP ₹4200/-) in Stores Department against 66.67% departmental quota vacancies.

Ref:- RBE No. 117/2006, 161/2009, 17/2014, 196/2018, 97/2019, 194/2019, M.C. 31 and para 157 of IREM Vol.I

*_**_*_*

1. Number of Vacancies:-

Unit	Total Vacancies	UR	SC	ST	PwBD
HQ	13	10	02	01	01 (HI)

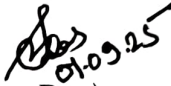
- Applications are invited from the regular serving Sr. Clerks in Store Department in the prescribed format (Annexure-I) who fulfill the prescribed eligibility conditions.
- Eligibility:-** The employees working as Sr. Clerk (Level -5) in the Stores Department with two years' regular service in the grade are eligible to apply for the notified vacancy of DMS. (Authority Para 157 of IREM Vol. 1).
- The cut-off the date for determining the eligibility of staff viz. service condition is the date of issue of this notification i.e. as on 01.09.2025 (Authority RBE No. 117/2006).
- The last date of submission of application is 15.09.2025. Application should be routed by the employee through their controlling officers. Application received after last of submission by the controlling officer will not be entertained under any circumstances and will be rejected. The controlling officer should send the application to APO/RP & Stores together with a consolidated statement after preliminary scrutiny by 20.09.2025 for further processing.
- Wide circulation may please be given among the staff of Stores Department, Eastern Railway to avoid any complaint at a later date. A copy of the notification must be placed on the notice board also for information of all concerned.

7. The staff applied for the post of the DMS to departmental selection may also be advised to be in readiness to appear in the written examination. The tentative date of the written examination is 15.11.2025. Venue and time of the CBT will be intimated in due course separately.
8. The following procedure will be followed in written test and evaluation of records of service for formation of panel for the post of DMS (L-6) in Stores Department.
 - (i) **Written examination :-** In order to bring objectivity to the selection process it has been decided by the Railway Board vide RBE No. 196/2018 that the question paper for the written examination will be 100% objective type. All the questions will be multiple choices only.
 - (ii) Accordingly CBT will comprise one professional paper of 100 marks as per the prescribed syllabus (Annexure – II).
 - (iii) The question on official language policy will be of 10 marks i.e. 10% of maximum 100 marks but this question will not be compulsory.
 - (iv) All objective type questions should carry equal marks. Every question will have 04 options.
 - (v) A candidate can attain only 100 questions only.
 - (vi) There shall be negative marking for incorrect answer. 1/3rd of the marks allotted for each question will be deducted for wrong answer (RBE No. 194/2019).
9. **Empanelment of the candidate:-** The SRs and APARs for the last three years of only those candidates will be scrutinized for their empanelment who secure 60 out of 100 marks i.e. 60% and above marks in the written examination. If sufficient No. of SC/ST candidate does not secure 60% pass marks then SC/ST employee who secure 50% and above marks in aggregate will be considered for empanelment against SC/ST vacancies. The panel will be formed strictly in order of merit.
10. There will be no classification of candidates as “Outstanding” (RBE No. 113/2009).
11. Since the panel to be formed on the basis of merit there will be no supplementary selection for the absentees.
12. A copy of the prescribed syllabus for the post of DMS in pay matrix 6 in Stores Department is enclosed for information of all concerned.
13. In terms of Master circular 31 para 22 (v) pre-selection/pre-promotional training should be given for safety category for SC/ST communities. Since, the selection for the post of DMS is for non-safety category, pre-selection/pre-promotion training is not necessary.

14. The post of DMS is identified for following categories of PwBD. Other than following categories of PwBD will not eligible for apply for the post of DMS.

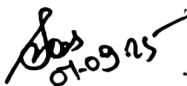
HI	D,HH
LD	OA, OL, LC, DW, AAV
MD	Within the above mentioned categories

D.A:- As above


(Sanjay Das)

Asst. Personnel Officer (RP & Store)
for Principal Chief Personnel Officer

Copy to:- (i) General Secretary/ERMC for kind information please.
(ii) General Secretary/ERMU for kind information please.
(iii) Zonal General Secretary/AISCSTREA/ER/Kol. for kind information please.
(iv) Zonal General Secretary/OBCREA/ER/Kol. for kind information please.


(Sanjay Das)

Asst. Personnel Officer (RP & Store)
for Principal Chief Personnel Officer

Annexure -I

**Application form for calling of volunteers from serving Sr. Clerk from
Store Department cadre for filling up the vacancies in DMS cadre
(L-6) in Store Department, Eastern Railway**

To,
Principal Chief Personnel Officer,
Eastern Railway, Kolkata.

1	Name	
2	Father's name	
3	DOB	
4	HRMS ID	
5	Mobile No.	
6	Email Address	
7	Present designation	
8	Present scale of pay (sustentative only)	
9	Date of regular appointment	
10	Date of regular entry in Sr. Clerk in Store Department	
11	Office/Station	
12	Department/Division/Unit	
13	Technical qualification, if any	

Declaration:-

I do hereby declare that I have read the above referred notification and I am volunteering for the post of DMS in Store Department cadre after agreeing to all conditions in the said notification. I am aware that my application will not be considered if it is not forwarded by the Controlling Officers/Department/Divisions/unit to PCPO's Office within the stipulated date.

Date:-

(Signature of the applicant)

Place:-

Forwarding remarks of the controlling supervisor.

The above particular of the employee have been verified and found correct.

(Signature of controlling supervisor)

(Signature of controlling branch officer)

Syllabus for CBT examination for the post of DMS (L-6)

Contents		Subjects
1		
2	I	Introduction to Railway and its Organization.
	II	Organization of Stores Department on zonal level, district level and depot level.
3	I	Purpose of codification, unification of items, PL Nos., check digit
	II	Unified PL Groups, Major PL groups, Nominated agency for unification
	III	Standardization & variety reduction, Advantages of standardization
	IV	Drawings and specifications, Important Railway specifications
	V	Computerized price ledger
	VI	Unit code, Depot code, consignee code, category of stores code, card code, ARD code and allocation code
4	I	Sources of supply, various agencies for procurement of stores.
	II	Canons of financial propriety
	III	Purchase powers of Stores department officers.
	IV	Tender system, types of tenders, tender committee, finalization of tenders.
	V	Various preferences in purchase.
	VI	Contract Management, Liquidated damages, Risk purchase
	VII	Local Purchase
	VIII	Earnest Money & Security deposits
5	I	Provisioning of material through estimate sheet.
	II	Recoupment, shop work order, issue order, red signal.
	III	Average annual consumption, buffer stock. Issue orders.
	IV	Maxima, Minima, average annual consumption, buffer stock
	V	Difference between Annual Estimate method and Max-Min method and implications, Other methods of recoupment
	VI	Computer Generated recoupment (Module-II)
6	I	Sources of receipt of material in depot..
	II	Various registers used in receipt section.
	III	Registration of purchase orders, RR, challans, inspection notes.
	IV	Collection of material from parcel office and goods shed, part delivery, open delivery. I Bond. Credit note book.
	V	Accountal of material in weighment registers, material received without document, material received from other depots.
	VI	Inspection of material, inspection agencies, sample.
	VII	Rejection of material, rejection memo, ground rent on rejected material. Joint inspection, Replacement of rejected material.
	VIII	Claim against carriers
7	I	Duties of DMS III, order of posting of receipt and issue vouchers in bin card. Imprest stores. One for one items.
	II	Sub-depot main-depot system. Custody stores. Requisition-cum-issue note. Issue order. Engineering plant reserve.
	III	Issue to workshops. Receipt of shop manufactured items from workshops. Issue of items for fabrication and procedure.

8	I	Various modes of dispatch of material.
	II	Booking of material by parcel, goods. Booking of a full load wagons. Recent policies of Railways for booking wagons & less than wagon parcels
	III	Dispatch of material by registered post parcel. Delivery per bearer, Precautions to be taken
	IV	Procedure of store delivery van. System adopted after stoppage of store delivery vans. Road transport contracts.
9	I	Returned advice note, its valuation, accountal and disposal.
	II	Survey committee, its functions and recommendations. Recent policy instructions issued by railway Board on scrap disposal
	III	Survey sheet, lot register, bid sheet, auctioneer's delivery order. Witnessing of deliveries. Ground rent on scrap material.
10	I	Prevention of inactive, overstock and surplus items.
	II	ABC, FSN and VED analysis.
	III	Performance monitoring of stores department.
	IV	Inventory turn over ratio. Inventory valuation
11	I	Frequency and object of verification of stock items in stores department.
	II	Verification by accounts department and also by departmental officials.
	III	Finalization of stock sheets and discrepancies.
12	I	Objectives, phases and modules of computerization.
	II	Input and output data. Computers printouts. Feeding of stores vouchers as per card codes.
	III	Rejection of vouchers, their rectification.
	IV	Difference between batch mode system & on line system.
	V	Salient features of MMIS
13	I	Duties in case of fire. Prevention of fire. Fire fighting equipment.
	II	Accidents like spilling of acids, burst of gas cylinders. First aid
	III	System of issues at the time of accidents on line, floods.
14	I	Raj bhasha rules. Different areas,
	II	Raj bhasha promotion schemes.
15	I	Leave rules.
	II	Pass rules
	III	T A rules
	IV	Pay sheet preparation.
	V	Discipline and appeal rules. Railway Service conduct Rules
	VI	Creation of work-charged establishment. Need, yardsticks D&G changes, value of scrap sales procedure etc.
	VII	Works and M&P Programme, various provisions, GMs powers
16	I	Corporate safety plan
	II	Safety issues identified for materials management
	III	Safety items as suggested by RDSO: Brief overview
	IV	Procurement & stocking of safety items: Differences compared to other items
	V	Life cycle costing based procurement
	VI	Periodic inspection schedule of stores department
	VII	ISO certification of purchase office & stores depots: Purpose & advantage



पूर्व रेलवे
कार्मिक विभाग

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय
पूर्व रेलवे,
कोलकाता - 700001.

सं. E/Rectt/DMS/Deptl.Selection/PQ/66 - 2/3 %/2025 कोलकाता, दिनांक 01.09.2025

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक,
पूर्व रेलवे,
कोलकाता.

विषय: भंडार विभाग में डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) लेवल-6 (ग्रेड वेतन ₹4200/-) के पद पर पदोन्नति हेतु 66.67% विभागीय कोटा रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य चयन।

संदर्भ: आरबीई सं. 117/2006, 161/2009, 17/2014, 196/2018, 97/2019, 194/2019, M.C. 31 और आईआरईएम वोल. I का पैरा 157.

--*-*

1. रिक्तियों की संख्या:-

यूनिट	कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	दिव्यांगजन
मुख्यालय	13	10	02	01	01 (HI)

- भंडार विभाग में नियमित रूप से कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- पात्रता:-** भंडार विभाग में वरिष्ठ लिपिक (लेवल-5) के रूप में कार्यरत कर्मचारी, जिन्होंने इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, डीएमएस की अधिसूचित रिक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। (प्राधिकार आईआरईएम वोल. I का पैरा 157)।
- कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथियथा सेवा शर्त, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि अर्थात् 01.09.2025 है (प्राधिकरण आरबीई सं. 117/2006)।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 है। कर्मचारी को अपना आवेदन अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से भेजना होगा। नियंत्रण अधिकारी द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। नियंत्रण अधिकारी को प्रारंभिक जांच के बाद आवेदनों को एक समेकित विवरण के साथ दिनांक 20.09.2025 तक सहायक कार्मिक अधिकारी/आरपी और भंडार को एकसाथ आगे की प्रक्रिया के लिए भेजना होगा।

6. भंडार विभाग, पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के बीच इसका व्यापक प्रचार किया जाए ताकि बाद में किसी भी शिकायत से बचा जा सके। सर्व संबंधित की जानकारी के लिए अधिसूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी अवश्य लगाई जानी चाहिए।
7. डीएमएस के पद के लिए विभागीय चयन हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे लिखित परीक्षा के लिए तैयार रहें। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 15.11.2025 है। सीबीटी का स्थान और समय यथासमय अलग से सूचित किया जाएगा।
8. भंडार विभाग में डीएमएस (लेवल-6) के पद के लिए पैनल गठन करने हेतु लिखित परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
 - (i) **लिखित परीक्षा:-**चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा आरबीई सं. 196/2018 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। सभी प्रश्न केवल बहुविकल्पीय होंगे।
 - (ii) तदनुसार, सीबीटी में निर्धारित पाठ्यक्रम (अनुबंध-II) के अनुसार 100 अंकों का एक व्यावसायिक प्रश्न-पत्र होगा।
 - (iii) राजभाषा नीति पर प्रश्न 10 अंकों का होगा अर्थात् अधिकतम 100 अंकों का 10%, परन्तु यह प्रश्न अनिवार्य नहीं होगा।
 - (iv) सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 04 विकल्प होंगे।
 - (v) उम्मीदवार को केवल 100 प्रश्नों का ही उत्तर देना है।
 - (vi) गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 हिस्सा गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा (आरबीई सं.194/2019)।
9. **उम्मीदवारों का पैनल गठन:-**केवल उन उम्मीदवारों के पिछले तीन वर्षों के एसआर और एपीएआर की जांच पैनल गठन के लिए की जाएगी, जिन्होंने लिखित परीक्षा में 100 में से 60 अंक अर्थात् 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। यदि पर्याप्त संख्या में अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार 60% पास अंक प्राप्त नहीं करते हैं, तो अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी जो कुल मिलाकर 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें अ.जा./अ.ज.जा.के रिक्त पदों के लिए पैनल गठन हेतु विचार किया जाएगा। पैनल का गठन पूर्णतः मेरिट के क्रम में किया जाएगा।
10. उम्मीदवारों का "उत्कृष्ट" के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं होगा। (आरबीई सं.113/2009)।
11. चूंकि पैनल मेरिट के आधार पर गठित किया जाएगा, इसलिए अनुपस्थित रहने वालों के लिए कोई पूरक चयन नहीं होगा।
12. भंडार विभाग में वेतन मैट्रिक्स 6 में डीएमएस के पद के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की एक प्रति सर्व संबंधित की जानकारी के लिए संलग्न है।

13. मास्टर सर्कुलर 31 पैरा 22 (v) के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों के उम्मीदवारों को सुरक्षा श्रेणी के लिए प्री-सेलेक्शन/प्री-प्रमोशनल प्रशिक्षण दिया जाता है। चूंकि डीएमएस के पद के लिए चयन गैर-सुरक्षा श्रेणी के लिए है, इसलिए प्री-सेलेक्शन/प्री-प्रमोशनल प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है।

14. डीएमएस के पद के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के दिव्यांगजन (PwBD) पात्र हैं। इनके अलावा अन्य श्रेणियों के दिव्यांगजन इस पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

एचआई/HI	डी, एचएच/D, HH
एलडी/LD	ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी/OA, OL, LC, DW, AAV
एमडी/MD	ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत

संलग्न:- यथोक्त

(संजय दास)

सहायक कार्मिक अधिकारी (आरपी एवं भंडार)

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि:- (i) महासचिव/पूर्व रेलवे मेन्स काँग्रेस को कृपया सूचनार्थ।

(ii) महासचिव/पूर्व रेलवे मेन्स यूनियन को कृपया सूचनार्थ।

(iii) जोनल महासचिव/एआईएससीएसटीआरईए/पू.रे./कोल. को कृपया सूचनार्थ।

(iv) जोनल महासचिव/ओबीसीआरईए/पू.रे./कोल. को कृपया सूचनार्थ।

(संजय दास)

सहायक कार्मिक अधिकारी (आरपी एवं भंडार)

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भंडार विभाग, पूर्व रेलवे में डीएमएस कैडर (लेवल-6) में रिक्तियों को भरने के लिए
भंडार विभाग संवर्गसे सेवारत वरिष्ठ लिपिकस्वैच्छिक सेवकों को बुलाने के लिए आवेदन

पत्र

सेवा में,
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी,
पूर्व रेलवे, कोलकाता

1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्मतिथि	
4	एचआरएमएस आईडी	
5	मोबाइल नं.	
6	ई-मेल पता	
7	वर्तमान पदनाम	
8	वर्तमान वेतनमान (केवल अनुपूरक)	
9	नियमित नियुक्ति की तिथि	
10	भंडार विभाग में वरिष्ठ लिपिक में नियमित प्रवेश की तिथि	
11	कार्यालय/स्टेशन	
12	विभाग/मंडल/यूनिट	
13	तकनीकी योग्यता, यदि कोई हो	

घोषणा:-

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपर्युक्त अधिसूचना पढ़ ली है और मैं उक्त अधिसूचना की सभी शर्तों से सहमत होकर भंडार विभाग संवर्ग में डीएमएस के पद के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर रहा/रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि यदि मेरा आवेदन नियंत्रक अधिकारी/विभाग/मंडल/यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित नहीं किया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक:-

स्थान:-

(आवेदक का हस्ताक्षर)

नियंत्रक पर्यवेक्षक की अग्रेषित टिप्पणियाँ।

कर्मचारी के उपरोक्त विवरण की जाँच की गई है और सही पाया गया है।

(नियंत्रक पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर)

(नियंत्रक शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

डीएमएस (एल-6) पद के लिए सीबीटी परीक्षा का पाठ्यक्रम

सामग्री		विषय
1		
2	I	रेलवे और इसके संगठन का परिचय।
	II	जोनल स्तर, जिला स्तर और डिपो स्तर पर भंडार विभाग का संगठन।
3	I	संहिताकरण, मदों का एकीकरण, पीएल संख्या, चेक अंकका उद्देश्य
	II	एकीकरण के लिए एकीकृत पीएल समूह, प्रमुख पीएल समूह, नामित एजेंसी
	III	मानकीकरण और विविधता में कमी, मानकीकरण के लाभ
	IV	चित्र और विनिर्देश, महत्वपूर्ण रेलवे विनिर्देश
	V	कम्प्यूटरीकृत मूल्य बहीखाता
	VI	यूनिट कोड, डिपो कोड, प्रेषिती कोड, भंडार श्रेणी कोड, कार्ड कोड, एआरडी कोड और आवंटन कोड
4	I	आपूर्ति के स्रोत, भंडार की खरीद के लिए विभिन्न एजेंसियां।
	II	वित्तीय औचित्य के सिद्धांत
	III	भंडार विभाग के अधिकारियों की क्रय शक्तियाँ।
	IV	निविदा प्रणाली, निविदाओं के प्रकार, निविदा समिति, निविदाओं का अंतिम रूप।
	V	क्रय में विभिन्न प्राथमिकताएँ।
	VI	अनुबंध प्रबंधन, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति, जोखिम क्रय
	VII	स्थानीय क्रय
	VIII	बयाना राशि और प्रतिभूति जमा
5	I	अनुमान पत्र के माध्यम से सामग्री का प्रावधान।
	II	प्रतिपूर्ति, कारखाना कार्य आदेश, निर्गम आदेश, रेड सिगनल
	III	औसत वार्षिक खपत, बफर स्टॉक, निर्गम आदेश।
	IV	अधिकतम, न्यूनतम, औसत वार्षिक खपत, बफर स्टॉक।
	V	वार्षिक अनुमान विधि और अधिकतम-न्यूनतम विधि के बीच अंतर और निहितार्थ, प्रतिपूर्ति की अन्य विधियाँ।
	VI	कंप्यूटर जनित प्रतिपूर्ति (मॉड्यूल-II)
6	I	डिपो में सामग्री प्राप्ति के स्रोत..
	II	प्राप्ति अनुभाग में प्रयुक्त विभिन्न रजिस्टर।
	III	क्रय आदेश, आरआर, चालान, निरीक्षण नोटों का पंजीकरण।
	IV	पार्सल कार्यालय और माल शेड से सामग्री का संग्रहण, आंशिक वितरण, खुलावितरण। आई बांड। क्रेडिट नोट बुक।
	V	तौल रजिस्ट्रों में सामग्री का लेखा-जोखा, बिना दस्तावेज़ के प्राप्त सामग्री, अन्य डिपो से

		प्राप्त सामग्री।
	VI	सामग्री का निरीक्षण, निरीक्षण एजेंसियाँ, नमूना।
	VII	सामग्री की अस्वीकृति, अस्वीकृति मेमो, अस्वीकृत सामग्री पर स्थान का किराया, संयुक्त निरीक्षण, अस्वीकृत सामग्री का प्रतिस्थापन।
	VIII	वाहनों के एवज में दावा
7	I	डीएमएस III के कर्तव्य, रसीद और जारी वाउचर को बिन कार्ड में पोस्टिंग करने का क्रम। अग्रदाय भंडार। एक मद के लिए एक।
	II	उप-डिपो मुख्य-डिपो प्रणाली। अभिरक्षा भंडार। मांगपत्र-सह-जारी नोट। निर्गम आदेश। इंजीनियरिंग संयंत्र रिजर्व।
	III	कारखानों को निर्गम। कारखानों के शॉप में निर्मित मदों की प्राप्ति। निर्माण और प्रक्रिया के लिए मदों का निर्गम।
8	I	सामग्री प्रेषण के विभिन्न तरीके।
	II	पार्सल, माल द्वारा सामग्री की बुकिंग। पूर्ण लोड वाले वैगनों की बुकिंग। वैगनों और उससे कम लोड वाले पार्सल की बुकिंग के लिए रेलवे की हालिया नीतियाँ।
	III	पंजीकृत डाक पार्सल द्वारा सामग्री का प्रेषण। प्रति वाहक वितरण, बरती जाने वाली सावधानियाँ।
	IV	स्टोर डिलीवरी वैन की प्रक्रिया। स्टोर डिलीवरी वैन के रुकने के बाद अपनाई जाने वाली प्रणाली। सड़क परिवहन अनुबंध।
9	I	लौटाया गया एडवाइस नोट, उसका मूल्यांकन, लेखा-जोखा और निपटान।
	II	सर्वेक्षण समिति, उसके कार्य और सिफारिशें। रेलवे बोर्ड द्वारा स्ट्रैप निपटान पर जारी हालिया नीति निर्देश।
	III	सर्वेक्षण पत्रक, लॉट रजिस्टर, बोली पत्रक, नीलामीकर्ता का वितरण आदेश। वितरण के साक्ष्य। स्ट्रैप सामग्री पर स्थान का किराया
10	I	निष्क्रिय, अतिभंडारित और अधिशेष वस्तुओं की रोकथाम।
	II	एबीसी, एफएसएन और वीडेडी विश्लेषण।
	III	भंडार विभाग के प्रदर्शन की निगरानी।
	IV	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात। इन्वेंट्री मूल्यांकन
11	I	भंडार विभाग में स्टॉक मदों के सत्यापन की आवृत्ति और उद्देश्य।
	II	लेखा विभाग और विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन।
	III	स्टॉक शीट और विसंगतियों को अंतिम रूप देना।
12	I	कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य, चरण और मॉड्यूल।
	II	इनपुट और आउटपुट डेटा। कंप्यूटर प्रिंटआउट। कार्ड कोड के अनुसार स्टोर वाउचर की फीडिंग।
	III	वाउचरों की अस्वीकृति, उनका सुधार।
	IV	बैच मोड सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम के बीच अंतर।
	V	एमएमआईएस की प्रमुख विशेषताएँ

13	I	आग लगने की स्थिति में कर्तव्य। आग से बचाव। अग्निशमन उपकरण।
	II	तेजाब का रिसाव, गैस सिलेंडर फटना जैसी दुर्घटनाएँ। प्राथमिक उपचार।
	III	लाइन दुर्घटनाओं, बाढ़ के समय समस्याओं से निपटने की व्यवस्था।
14	I	राजभाषा नियम, विभिन्न क्षेत्र
	II	राजभाषा पदोन्नति योजना
15	I	छुट्टी नियम
	II	पास नियम
	III	यात्रा/परिवहन भत्ता नियम
	IV	वेतन शीट तैयार करना।
	V	अनुशासन एवं अपील नियम। रेल सेवा आचरण नियम
	VI	कार्य-प्रभारित स्थापना का सृजन। आवश्यकता, मानदंड, डी एंड जी परिवर्तन, स्क्रेप बिक्री प्रक्रिया का मूल्य आदि।
	VII	कार्य और एम एंड पी कार्यक्रम, विभिन्न प्रावधान, महाप्रबंधक की शक्तियाँ
16	I	कॉर्पोरेट सुरक्षा योजना
	II	सामग्री प्रबंधन के लिए चिह्नित किये गए सुरक्षा मुद्दे
	III	आरडीएसओ द्वारा सुझाए गए सुरक्षा आइटम: संक्षिप्त अवलोकन
	IV	सुरक्षा मदों की खरीद और भंडारण: अन्य आइटमों की तुलना में अंतर
	V	जीवन चक्र लागत आधारित खरीद
	VI	भंडार विभाग का आवधिक निरीक्षण कार्यक्रम
	VII	क्रय कार्यालय और भंडार डिपो का आईएसओ प्रमाणन: उद्देश्य और लाभ